को पेश हो।

28/8/2024	पत्रा. पेश हुई। प्रार्थिया मय वकील उप.। प्रार्थिया का दावा खारिज किया जा चुका है अब इस प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा. फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	रेनू देवी Bhar 28/8/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:43:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner